कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर

पत्राँकः– 913 /आर0एस0एल0ए0 दिनाँकः– 29/5/19

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
रामपुर वृत, लो0नि0वि0,
रामपुर।

विषयः– जनपद रामपुर में रामपुर केमरी (अन्य जिला मार्ग–20) मार्ग के चै0 3.808 के ग्राम भमरव्वा तहसील सदर, जिला रामपुर के गाटा संख्या 31 पर रिटेल आउट (पट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– जिलाधिकारी, रामपुर का कार्यालय पत्र सं0–636/जे0ए0–2 दिनांक 09.02.2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त मानचित्रों का सत्यापन उपरान्त इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि प्रस्तावित पट्रोल पम्प के सामने मार्ग की स्थायी भूमि 18.28 मीटर सड़क की मध्य रेखा से एक ओर प्रमाणित की जाती है। तथा आवदेक द्वारा सड़क की मध्य रेखा से एक ओर 28.29 मी0 की लम्ब्वत दूरी पर रिटेल आउटलेट को स्थापित करने की अनुमति चाही है। अतः उ0प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 के नियम–6(1) में निहित प्राविधानों के अनुसार मार्ग की मध्य रेखा से 28.29 मीटर की लम्ब्वत दूरी पर प्रस्तावित निर्माण की अनुमति दिये जाने की संस्तुति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ की जाती है।

यह मार्ग यू0पी0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 के अन्तर्गत नोटिफाइड मार्ग है।

1. मानचित्र मानक के अनुसार बने है।
2. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
3. आवेदक के विरूद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा – 13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक स्वंय उत्तरदायित्व होगा।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है।
5. प्रस्तावित स्थल **रामपुर केमरी मार्ग, अन्य जिला मार्ग (UP05OD0020) के कि0मी0 चै0 3.808 के मध्य स्थित** है।
6. प्रस्तावित निर्माण स्थल कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
7. रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिए 1.00 कि0मी0 की दूरी पर सर्विस बेरियर नहीं है।
8. बफर स्ट्रिप 12.00 मी0 लम्बाई एवं 3.00 मी0 चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकासं कवर्स की चौड़ाई 11.50 मी0 है।
9. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0–12–2009 के अनुसार किया जाये।
10. आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 18.28 मी0, पम्प 28.28 मी0, 39.28 मी0 एवं भवन निर्माण 41.28 मी0 की दूरी पर नक्शे में प्रदर्शित हैं।

(क) आवेदक को पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्चे से मान चित्रानुसार ओपन ड्रेन (नाली) एवं दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 10 वर्षो के लिए लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (Annexure-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।

(ख) आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध उत्पन्न न होने पाये।

(ग) आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वंय के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवंरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग की सतह पर नहीं आना चाहिए एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।

कुमार, विनोद

फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.30 मी0 नीचा रखा जायेगा।

11. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साइड खन्ती में 1.00 मी0 चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाइप के कैटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधापूर्वक रोड साइड ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द न किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।
12. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0 13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
13. बफर स्ट्रिप के पास ग्रीन हैजिज की ऊंचाई 60 सेमी से ऊपर न रखी जाये।
14. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0 मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जायें तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य प्रस्तावित मानचित्र दर्शित दूरियों को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
15. प्रस्तावित स्थल के ऊपर 100 मी0 दोनों ओर कोई रोड क्रासिंग नहीं होनी चाहिए।
16. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो, तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
17. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने से पूर्व आवेदक को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रामपुर से लाईसेंस डीड कराना आवश्यक होगा।
18. भू–स्वामित्व के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग उत्तरदायी नहीं होगा, जिसका सत्यापन राजस्व विभाग से कराना आवश्यक होगा।
19. लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो आवेदक को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0–33023–19/99–डी0ओ0 तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाइडलाईनों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
20. शासनादेश संख्या–आर0डब्लू0/एन0एच0/19–जी0ओ0–II दिनांक 24.07.2013 के प्रस्तर–5 के अनुपालन में रू0 2,00,000/– (रू0 दो लाख मात्र) की एफ0डी0 एवं प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रू0 10,000/– (रू0 दस हजार मात्र) की डी0डी0 प्राप्त कर ली गयी है।

संलग्नकः–

1. मानचित्र तीन प्रतियों में।
2. एनक्जर एवं चैक लिस्ट।
3. भू0–स्वामित्व की छायाप्रति, खतौनी/सेल डीड।
4. लीज डीड एग्रीमेन्ट तीन प्रति में।
5. जिलाधिकारी, रामपुर का संदर्भित पत्र।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,रामपुर
दिनाँकः– 29/5/19

पत्राँकः– 913/आर0एस0एल0ए0

प्रतिलिपि –

1. प्रभारी अधिकारी, संयुक्त कार्यालय कृते जिलाधिकारी, रामपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. खण्डीय कैशियर, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर को डी0डी0 एवं एफ0डी0 प्राप्त करने हेतु प्रेषित।

29/5/19

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर

कुमार विभाष
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
बरेली मंडल कार्यालय